



प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत अयोध्या क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 18 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत अयोध्या क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 18 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू० 1886.91 लाख (रूपये अट्ठारह करोड छियासी लाख इक्यान्वे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23607/CE-SEB/ RYB/ ADY/ 2026-27 Dt- 08-07-2026	प्रा.ख. बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में ब्लाक बनीकोडर में बाजपुर-पाराहाजी सम्पर्क मार्ग पर 3x18.75 मी० लघु सेतु का निर्माण, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति का कार्य।	89/2026/आई/1 266370/2026/ 23-6099/61/20 26-दिनांक-14-0 3-2026	975.59 975.59 4.00 971.59	9.00	962.59	315.16	84.84	400.00
2	तदेव	प्रा.ख. बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड सिद्धौर के अन्तर्गत पूरब बेलाव मार्ग से मसारा मार्ग के मध्य नाले पर 3x3x3 मीटर स्पान के आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	96/2026/आई/1 269921/2026/2 3-6099/83/20 26-दिनांक-17-0 3-2026	107.44 107.44 1.00 106.44	1.34	105.10	78.58	21.15	99.73
3	तदेव	नि.ख.-4 अयोध्या	जनपद अयोध्या में भैलसर रूदौली इन्हीना मार्ग के कि०मी०-9 में शारदा सहायक डबल नहर पर स्थित संकरे पुल के बगल में 2 (3x8x5) मी० स्पान के आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट के नव निर्माण का कार्य।	85/2025/670/2 3-6099/22/20 25-दिनांक-06-0 3-2025	702.09 702.09 32.26 669.83	306.07	363.76	141.82	38.18	180.00
4	तदेव	नि.ख.-4 अयोध्या	जनपद अयोध्या में रूदौली सैदपुर कामाख्या भवानी मार्ग के कि०मी०-6 में शारदा सहायक डबल नहर पर स्थित संकरे पुल के बगल में 2 (3x8x5) मी० स्पान के आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट का नव निर्माण कार्य।	118/2025/842/ 23-6099/23/2 025-दिनांक-23- 03-2025	696.44 696.44 40.29 656.15	312.39	343.76	133.94	36.06	170.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	तदैव	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में अरूवावा सम्पर्क मार्ग पर पूर्व से स्थित सकरी एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2X3X3 मी० बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2026/आई/1 253436/2026/ 23-6099/52/2 026-दिनांक-27- 02-2026	73.13 73.13 0.32 72.81	0.91	71.90	53.78	14.48	68.26
6	तदैव	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में नजीबपुर सम्पर्क मार्ग पर पूर्व से स्थित सकरी एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2X3X3 मी० बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	81/2026/आई/1 263890/2026/ 23-6099/70/20 26-दिनांक-12-0 3-2026	73.10 73.10 0.32 72.78	0.91	71.87	53.76	14.47	68.23
7	तदैव	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में दसौली सम्पर्क मार्ग पर पूर्व से स्थित सकरी एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3X3X3 मी० बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	81/2026/आई/1 263890/2026/ 23-6099/70/20 26-दिनांक-12-0 3-2026	82.20 82.20 0.25 81.95	1.02	80.93	60.53	16.30	76.83
8	तदैव	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में सारंगपुर के पास शारदा सहायक नहर महोली बड़ागांव ड्योढ़ी मार्ग पर 3x8.30 मी० स्पान के लघु सेतु के निर्माण कार्य।	96/2026/आई/1 269921/2026/2 3-6099/83/20 26-दिनांक-17-0 3-2026	297.40 297.40 0.25 297.15	0.70	296.45	157.58	42.42	200.00
9	तदैव	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में तुलसी तारा अलावलपुर के मध्य सुगर मिल गन्दा नाला पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1 गुणे 6.00 मी० स्पान का आर०सी०सी० पुल (लघु सेतु), पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	96/2026/आई/1 269921/2026/2 3-6099/83/20 26-दिनांक-17-0 3-2026	78.46 78.46 0.20 78.26	15.69	62.57	46.22	12.44	58.66
10	तदैव	प्रा.ख. अम्बेडकर नगर	जनपद अम्बेडकर नगर में झलरी का पुरवा से बनगाँव निबिअहवा पोखरा होकर भरतपुर गिरण्ट मुख्य मार्ग के कि०मी०-3 में स्थिति क्षतिग्रस्त एवं सकरे पुलिया के स्थान पर 2x4x3x00 मी० स्पॉन के आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	336/2025/आई /1140539/2025 /23-6099/182/ 2025-दिनांक-12 -11-2025	80.70 80.70 6.42 74.28	12.35	61.93	45.61	12.28	57.89
11	तदैव	प्रा.ख. अम्बेडकर नगर	जनपद अम्बेडकरनगर में संजरपुर डिहदीपुर से खानूपुर को जोड़ने हेतु अनउवा नाले पर 2x5x3 मी० आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	96/2026/आई/1 269921/2026/2 3-6099/83/20 26-दिनांक-17-0 3-2026	123.18 123.18 8.77 114.41	1.38	113.03	84.20	22.67	106.87
12	तदैव	प्रा.ख. अम्बेडकर नगर	जनपद अम्बेडकरनगर में बसखारी मैदीघाट मार्ग कि०मी०-11 से हीरा पब्लिक स्कूल मैनुखान का पुरवा सम्पर्क मार्ग पर स्थित पुरानी क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नई 2x3x3 मी० स्पॉन की आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	96/2026/आई/1 269921/2026/2 3-6099/83/20 26-दिनांक-17-0 3-2026	66.46 66.46 10.04 56.42	1.20	55.22	40.89	11.01	51.90
13	तदैव	प्रा.ख. अम्बेडकर नगर	जनपद अम्बेडकरनगर में एनवा-भड़सारी-केदारनगर-सहरपुर मार्ग के कि०मी०-21 में स्थित सकरी पुलिया के स्थान पर 3x3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	96/2026/आई/1 269921/2026/2 3-6099/83/20 26-दिनांक-17-0 3-2026	115.89 115.89 12.30 103.59	1.35	102.24	75.99	20.46	96.45
14	तदैव	नि.ख.-3 सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में यादव का पुरवा सम्पर्क मार्ग के कि०मी० 1(500) में स्थानीय नाले पर 3x2x2 मीटर आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	122/2026/आई/ 1275379/2026/ 23-6099/115/2 026-दिनांक-21- 03-2026	71.73 71.73 0.10 71.63	0.90	70.73	52.87	14.23	67.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15	तदैव	नि.ख. अमेठी	जनपद अमेठी के अन्तर्गत ब्लाक जगदीशपुर, ग्रामसभा अतवारा में कुडवा घाट गोमती नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कार्य।	376/2025/आई/1167976/2025/23-6-2025-ई-1987092-दिनांक-09-12-2025	62.54 62.54 0.20 62.34	59.22	3.12	2.46	0.66	3.12
16	तदैव	नि.ख. अमेठी	जनपद अमेठी में गंगागढ़ शंकरगंज अरियावा होते हुए गजराज तक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी0-3 में बनी क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x3x2.80 मी० स्पान के नये लघु सेतु का निर्माण कार्य।	53/2026/आई/1253436/2026/23-6099/52/2026-दिनांक-27-02-2026	89.73 89.73 0.16 89.57	17.95	71.62	52.90	14.24	67.14
17	तदैव	नि.ख. अमेठी	जनपद अमेठी में मोहनगंज से फुरसतगंज वाया पीढी मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी0 6 पर स्थित सकरी एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x3x2 मी० स्पान के नये लघु सेतु के निर्माण कार्य।	53/2026/आई/1253436/2026/23-6099/52/2026-दिनांक-27-02-2026	86.50 86.50 0.15 86.35	17.30	69.05	51.00	13.73	64.73
18	तदैव	प्रा.ख. अमेठी	जनपद अमेठी में बरौलिया मानमती कोहार (अ०जि०मा०) के किमी0-12 में जर्जर लघु सेतु के स्थान पर 2x4 मी० स्पान के बाक्स क्लवर्ट का निर्माण कार्य।	53/2026/आई/1253436/2026/23-6099/52/2026-दिनांक-27-02-2026	114.82 114.80 0.08 114.72	1.43	113.29	39.40	10.60	50.00
कुल योग								1486.69	400.22	1886.91

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 14,86,69,000 (रुपये चौदह करोड़ छियासी लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 4,00,22,000 (रुपये चार करोड़ बाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।